पत्रांक–2प० / प०स०भ०–09–06 / 2022 / 9370 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (BLADA)
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 25/7/25

विषय : स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 2000 पंचायत सरकार भवनों हेतु उपलब्ध कराई गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय आवंटनादेश संख्या–54(आ०) दिनांक 19.10.2023, 56(आ०) दिनांक 20.10.2023, 76(आ०) दिनांक 18.01.2024, 109(आ०) दिनांक 21.03.2024 एवं आवंटनादेश संख्या–20(आ०) दिनांक 24.06.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–4881 दिनांक 03.05.2023 द्वारा राज्य के कुल 2000 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के आलोक में प्रासंगिक आवंटनादेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 से अबतक कुल ₹2627.23 करोड़ की राशि CFMS के माध्यम से बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (BLADA) के P/L Account में अंतरित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (BLADA) के P/L Account में अंतरित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प० / प०स०भ०–09–06 / 2022 / 9370 / पं०रा० पटना, दिनांक 25/7/25

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प० / प०स०भ०–09–06 / 2022 / 9370 / पं०रा० पटना, दिनांक 25/7/25
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प० / प०स०भ०–09–06 / 2022 / 9370 / पं०रा० पटना, दिनांक 25/7/25
प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड)/20(आ०)/पं०रा० (117)

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,

अपर सचिव

सेवा में,

उप सचिव-सह-

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 24/6/2025

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 21(स्वी०) दिनांक 20.06.2025 द्वारा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु ₹5,08,23,10,000.00 करोड़ (पाँच अरब आठ करोड़ तेईस लाख दस हजार रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय संकल्प संख्या 4881 दिनांक 03.05.2023 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेशसंख्या 21(स्वी०) दिनांक 20.06.2025 द्वारा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹5,08,23,10,000.00 करोड़ (पाँच अरब आठ करोड़ तेईस लाख दस हजार रूपये) मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के कंडिका-04 के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹5,08,23,10,000.00 करोड़ (पाँच अरब आठ करोड़ तेईस लाख दस हजार रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या 16 के रथापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से निम्नरूपेण बजट शीर्षो से की जायेगी :-

राशि रूपये में

मद	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	कुल आवंटित राशि
जिला परिषद्	"मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष-0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान" विपत्र कोड-16-2515001960007	"0007.31.05-सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण"	762346500.00

P.T.O

पंचायत समिति	"मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लाक पंचायतों / मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0004–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान" विपत्र कोड–16-2515001970004	"0004.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण"	762346500.00
ग्राम पंचायत	"मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" विपत्र कोड–16-2515001980009	"0009.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण"	3557617000.00
कुल : (पाँच अरब आठ करोड़ तेईस लाख दस हजार रूपये) मात्र			**5082310000.00**

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय विभागीय संकल्प संख्या 4881 दिनांक 03.05.2023 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

5. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण (ब्लाडा) के P/L Account No-PTSPLA011 में अंतरित करायेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इस स्वीकृत राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 214 दिनांक 06.03.2024 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

P.T.O

11. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

12. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड) के पृष्ठ संख्या ....45..../टि० पर दिनांक ....24/06/25.......... को प्राप्त है।

14. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

24/6/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड) 20(3A)/पं०रा० पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 06 एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), लेखापाल, रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/6/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड) 20(3A)/पं०रा० पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/6/25

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड)/ 29 अ० /पं०रा० पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 24/6/25
अपर सचिव

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021/76(अ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,

अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

उप सचिव–सह–

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 18/1/2024

विषय : वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 59(स्वी०) दिनांक 18.01.2024 द्वारा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत 2000 (दो हजार) स्वीकृत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹13,00,00,00,000.00 (तेरह अरब रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय संकल्प संख्या 4881 दिनांक 03.05.2023 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 59(स्वी०) दिनांक 18.01.2024 द्वारा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत 2000 (दो हजार) पंचायत सरकार भवनो के निर्माण हेतु कुल ₹13,00,00,00,000.00 (तेरह अरब रूपये) मात्र की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत स्वीकृत कुल ₹13,00,00,00,000.00 (तेरह अरब रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2023–24 में मांग संख्या 16 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से निम्नरूपेण बजट शीर्षो से की जायेगी:–

राशि रूपये में

क्र०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4
1	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान विपत्र कोड 16–2515001980009	"0009.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्मपत्तियों के निर्माण"	9100000000.00

2	"मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–197–ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष –0004–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान विपत्र कोड 16–2515001970004	"0004.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्मपत्तियों के निर्माण"	1950000000.00
3	"मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0007–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान विपत्र कोड 16–2515001960007	"0007.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्मपत्तियों के निर्माण"	1950000000.00
	कुल		**13000000000.00**

तेरह अरब रूपये मात्र

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्यय विभागीय संकल्प संख्या 4881 दिनांक 03.05.2023 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 59(स्वी०) दिनांक 18.01.2024 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण (ब्लाडा) के P/L Account No- PTSPLA011 में अंतरित करायेंगे। बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण (ब्लाडा) द्वारा इस स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक–'A' के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के संबंधित P/L Account No में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. वित्तीय वर्ष 2023–24 में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹13,00,00,00,000 (तेरह अरब रूपये) मात्र की राशि आवंटित किये जाने हेतु निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 40(स्वी०) दिनांक 26.09.2023 एवं विभागीय आवंटनादेश सं० 50(आ०) दिनांक 09.10.2023 को निरस्त किया जाता है।

7. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 430 दिनांक 28.03.2023 एवं 697 दिनांक 24.07.2023 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

113

8. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

10. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 के पृष्ठ संख्या ...99.../टि० पर दिनांक ...08/11/2024...को प्राप्त है।

13. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
18/11/24
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 76(अ॰)पं०रा० पटना, दिनांक 18/11/2024

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 5 एवं 7(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11/24
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2023-24\Estb & Comm Exp\6th SFC 2023-24\Letter

(112)

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021/76(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/11/24

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11/24

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021/76(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/11/24

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/11/24

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021/76(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 18/11/24

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/11/24

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

(47) (111)

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/56(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 20/10/2023

विषय : **वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 44(स्वी०) दिनांक 20.10.2023 द्वारा पंचायत सरकार भवनों के निमार्ण हेतु कुल ₹42,00,00,000.00 (बयालीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 44(स्वी०) दिनांक 20.10.2023 द्वारा Scheme for Special Assistance to states for Capital investment for 2023-24 Under Part-1 के तहत राज्य स्कीम मद से पंचायत सरकार भवनो के निर्माण हेतु कुल ₹42,00,00,000.00 (बयालीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत कुल ₹42,00,00,000.00 (बयालीस करोड़ रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है:–

राशि रूपये में

क्र०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	अररिया	10000000.00
2	अरवल	10000000.00
3	औरंगाबाद	10000000.00
4	बांका	10000000.00
5	बेगूसराय	10000000.00
6	भागलपुर	10000000.00
7	भोजपुर	10000000.00
8	बक्सर	10000000.00
9	दरभंगा	10000000.00
10	गया	10000000.00

\\10.76.101.52\d\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2023-24\State Scheme\Panchayat Sarkar Bhawan 2023-24\Letter.docx

(2)

(96) (110)

11	गोपालगंज	20000000.00
12	जहानाबाद	10000000.00
13	जमुई	10000000.00
14	कैमूर	10000000.00
15	कटिहार	10000000.00
16	खगड़िया	10000000.00
17	किशनगंज	10000000.00
18	लखीसराय	10000000.00
19	मधेपुरा	10000000.00
20	मधुबनी	20000000.00
21	मुंगेर	10000000.00
22	मुजफ्फरपुर	10000000.00
23	नालन्दा	10000000.00
24	नवादा	10000000.00
25	प0 चम्पारण	10000000.00
26	पटना	10000000.00
27	पूर्णिया	10000000.00
28	पू0 चम्पारण	20000000.00
29	रोहतास	10000000.00
30	सहरसा	10000000.00
31	समस्तीपुर	20000000.00
32	सारण	10000000.00
33	शेखपुरा	10000000.00
34	शिवहर	10000000.00
35	सीतामढ़ी	10000000.00
36	सिवान	10000000.00
37	सुपौल	10000000.00
38	वैशाली	10000000.00
कुल		**420000000.00**

बयालीस करोड़ रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम अंतर्गत **"मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–पंचायती राज–उपशीर्ष–0108–पंचायत सरकार भवन"** मद के विषय शीर्ष **'0108.53.01–मुख्य निर्माण कार्य'** इकाई से किया जायेगा। इसका मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड **16–4515001010108** है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग होंगे, जो राशि

की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण (ब्लाडा) के P/L Account No.-PTSPLA011 में अंतरित करायेंगे। विभागीय पत्रांक—10362 दिनांक—26.09.2023 के आलोक में बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण (ब्लाडा) द्वारा चयनित बैंक (ICICI Bank) के Saving Account No 529401000096 IFSC Code ICIC0005294 में एकमुश्त अंतरित करायेंगे, ताकि इस योजना से निकासी/व्यय की गई राशि का पर्यवेक्षण प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को अलग से भेजा जा सके। साथ ही इस स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक—A के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण के बैंक खाते में अंतरित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. इस आवंटित राशि का व्यय विभागीय संकल्प संख्या—4881 दिनांक—03.05.2023 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम—4—05/98—2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 430 दिनांक 28.03.2023 एवं 697 दिनांक 24.07.2023 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस आवंटित राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमो के आलोक में की जायेगी। मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का एक दायित्व होगा कि वे इस स्वीकृत राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ—साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

10. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय—समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

12. इस आवंटन आदेशके सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019 के पृष्ठ संख्या 74/टि० पर दिनांक 20.10.2023 को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

20/10/2023

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/56(आ०)/पं०रा०पटना, दिनांक 20/10/23

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार, पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/10/2023

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/56(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 20/10/2023

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण (ब्लाडा)/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/10/2023

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/56(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 20/10/2023

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/10/2023

(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

(51) (107)

पत्रांकः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/54(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 19/10/2023

विषय : वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 43(स्वी०) दिनांक 19.10.2023 द्वारा पंचायत सरकार भवनों के निमार्ण हेतु कुल ₹5,77,00,00,000.00 (पाँच अरब सतहत्तर करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 43(स्वी०) दिनांक 19.10.2023 द्वारा Scheme for Special Assistance to states for Capital investment for 2023-24 Under Part-I के तहत राज्य स्कीम मद से पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹5,77,00,00,000.00 (पाँच अरब सतहत्तर करोड़ रूपये) मात्र की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत कुल ₹5,77,00,00,000.00 (पाँच अरब सतहत्तर करोड़ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन निम्नरूपेण की जाती है:–

राशि रूपये में

क्र०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	अररिया	152905000.00
2	अरवल	89435000.00
3	औरंगाबाद	112515000.00
4	बांका	77895000.00
5	बेगूसराय	173100000.00
6	भागलपुर	242340000.00
7	भोजपुर	95205000.00
8	बक्सर	144250000.00
9	दरभंगा	207720000.00
10	गया	178870000.00

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2023-24\State Scheme\Panchayat Sarkar Bhawan 2023-24\Letter.docx

11	गोपालगंज	248110000.00
12	जहानाबाद	144250000.00
13	जमुई	92320000.00
14	कैमूर	121170000.00
15	कटिहार	118285000.00
16	खगड़िया	135595000.00
17	किशनगंज	135595000.00
18	लखीसराय	77895000.00
19	मधेपुरा	178870000.00
20	मधुबनी	308695000.00
21	मुंगेर	147135000.00
22	मुजफ्फरपुर	86550000.00
23	नालन्दा	144250000.00
24	नवादा	57700000.00
25	प0 चम्पारण	152905000.00
26	पटना	89435000.00
27	पूर्णिया	233685000.00
28	पू0 चम्पारण	302925000.00
29	रोहतास	187525000.00
30	सहरसा	80780000.00
31	समस्तीपुर	253880000.00
32	सारण	184640000.00
33	शेखपुरा	54815000.00
34	शिवहर	17310000.00
35	सीतामढ़ी	187525000.00
36	सिवान	112515000.00
37	सुपौल	213490000.00
38	वैशाली	227915000.00
कुल		**5770000000.00**

पाँच अरब सतहत्तर करोड़ रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम अंतर्गत "**मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–पंचायती राज–उपशीर्ष–0108–पंचायत सरकार भवन**" मद के विषय शीर्ष '**0108.53.01–मुख्य निर्माण कार्य**' इकाई से किया जायेगा। इसका मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड **16–4515001010108** है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से करते

हुए बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण (ब्लाडा) के P/L Account No.-PTSPLA011 में अंतरित करायेंगे। विभागीय पत्रांक–10362 दिनांक–26.09.2023 के आलोक में बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण (ब्लाडा) द्वारा अगले दिन P/L Account से चयनित बैंक (ICICI Bank) के Saving Account No. 529401000096 IFSC Code ICIC0005294 में एकमुश्त अंतरित करायेंगे, ताकि इस योजना से निकासी/व्यय की गई राशि का पर्यवेक्षण प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को अलग से भेजा जा सके। साथ ही इस स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक–A के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण के बैंक खाते में अंतरित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. इस आवंटित राशि का व्यय विभागीय संकल्प संख्या 4881 दिनांक 03.05.2023 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 430 दिनांक 28.03.2023 एवं 697 दिनांक 24.07.2023 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. इस आवंटित राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमो के आलोक में की जायेगी। मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का एक दायित्व होगा कि वे इस स्वीकृत राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ–साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

10. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

12. इस आवंटन आदेशके सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2023-24\State Scheme\Panchayat Sarkar Bhawan 2023-24\Letter.docx

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019 के पृष्ठ संख्या 69/टि० पर दिनांक 19.10.... को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन
19/10/2023
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/54(आ0)/पं०रा०पटना, दिनांक 19/10/2023

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/10/2023
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/54(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 19/10/2023

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण (ब्लाडा)/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/10/2023
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019 54(आ0)/पं०रा० पटना, दिनांक 19/10/2023

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/10/2023
(कल्पना कुमारी)
अनुश्रवण पदाधिकारी

19/X/23

(67) (102)

पत्रांकः 5प / राज्य स्कीम–02–03 / 2019 / 109(अ०) / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

किशोर कुमार,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

उप सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 21.3.24

विषय : वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 88(स्वी०) दिनांक 21.03.2024 द्वारा पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹2,00,00,00,000.00 (दो अरब रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 88(स्वी०) दिनांक 21.03.2024 द्वारा Scheme for Special Assistance to states for Capital investment for 2023-24 Under Part-1 के तहत राज्य स्कीम मद से पंचायत सरकार भवनो के निर्माण हेतु द्वितीय किस्त की कुल ₹2,00,00,00,000.00 (दो अरब रूपये) मात्र की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत कुल ₹2,00,00,00,000.00 (दो अरब रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :–

राशि रूपये में

क्र०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	अररिया	53000000.00
2	अरवल	31000000.00
3	औरंगाबाद	39000000.00
4	बांका	27000000.00
5	बेगूसराय	60000000.00
6	भागलपुर	84000000.00
7	भोजपुर	33000000.00
8	बक्सर	50000000.00
9	दरभंगा	72000000.00
10	गया	62000000.00
11	गोपालगंज	86000000.00

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2023-24\State Scheme\Panchayat Sarkar Bhawan 2023-24\Letter.docx

12	जहानाबाद	
13	जमुई	50000000.00
14	कैमूर	32000000.00
15	कटिहार	42000000.00
16	खगड़िया	41000000.00
17	किशनगंज	47000000.00
18	लखीसराय	47000000.00
19	मधेपुरा	27000000.00
20	मधुबनी	62000000.00
21	मुंगेर	107000000.00
22	मुजफ्फरपुर	51000000.00
23	नालन्दा	30000000.00
24	नवादा	50000000.00
25	पश्चिम चम्पारण	20000000.00
26	पटना	53000000.00
27	पूर्णिया	31000000.00
28	पूर्वी चम्पारण	81000000.00
29	रोहतास	105000000.00
30	सहरसा	65000000.00
31	समस्तीपुर	28000000.00
32	सारण	88000000.00
33	शेखपुरा	64000000.00
34	शिवहर	19000000.00
35	सीतामढ़ी	6000000.00
36	सिवान	65000000.00
37	सुपौल	39000000.00
38	वैशाली	74000000.00
	कुल	79000000.00 **2000000000.00**

दो अरब रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–101–पंचायती राज–उपशीर्ष–0108–पंचायत सरकार भवन" मद के विषय शीर्ष '0108.53.01–मुख्य निर्माण कार्य' इकाई से किया जायेगा। इसका मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–4515001010108 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण (ब्लाडा) के P/L Account No.-PTSPLA011 में अंतरित करायेंगे। विभागीय पत्रांक–2720 दिनांक–21.03.2024 के आलोक में बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण (ब्लाडा) द्वारा P/L Account से अगले दिन चयनित बैंक Bank of Maharashtra, SAVITRI COMPLEX 1ST FLR, BORING RD PATNA-800001 के Saving

Account No 60485221215 IFSC Code MAHB0001270 में एकमुश्त अंतरित करायेंगे, ताकि इस योजना से निकासी/व्यय की गई राशि का पर्यवेक्षण प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को अलग से भेजा जा सके। साथ ही इस स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक–A के आलोक में संबंधित कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण के बैंक खाते में अंतरित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 2879 दिनांक 15.03.2024 के आलोक में इस आवंटित राशि की निकासी कर पी०एल० खाता में अंतरित किये जाने हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

6. इस आवंटित राशि का व्यय विभागीय संकल्प संख्या–4881 दिनांक–03.05.2023 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7. इस आवंटित राशि का व्यय/उपयोग लागू आचार संहिता के लिए विहित प्रावधानों के आलोक में किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

8. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 430 दिनांक 28.03.2023, 697 दिनांक 24.07.2023, 926 दिनांक 06.11.2023 एवं 176 दिनांक 23.02.2024 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9. इस आवंटित राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमो के आलोक में की जायेगी। मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना का एक दायित्व होगा कि वे इस स्वीकृत राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन के साथ–साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

11. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

12. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

13. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

14. इस आवंटन आदेशके सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

15. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय अपर मुख्य सचिव, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019 के पृष्ठ संख्या 81/टि० पर दिनांक 21/03/2024 को प्राप्त है।

16. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

21.3

(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/109(आ०)/पं०रा०पटना, दिनांक 21/3/24

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3

(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/109(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 21/3/24

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण (ब्लाडा)/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.3

(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2019/109(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 21/3/24

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21.3.24

(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2023-24\State Scheme\Panchayat Sarkar Bhawan 2023-24\Letter.docx